136

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2084—एक/2011 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 08—08—2011 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 239/अपील/2007—08.

.....

रज्जाक खां (फौत)
वारिसानः—
1—श्रीमती शब्बो पत्नी स्व0 रज्जाक खां
2—शरीफ खां 3—शब्बीर खां
4—अरबाज 5—रियाज पुत्रगण
स्व0 रज्जाक खां
5—शकीला 6— रूकसार पुत्रियां
स्व0 रज्जाक खां
निवासीगण पचौर नगर पालिका के पीछे
वार्ड कमांक 13 सारंगपुर जिला राजगढ म0प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

घनश्याम पुत्र श्री भंवरलाल (फौत)
वारिसानः—
1—श्रीमती गीता अग्रवाल पत्नी स्व0 घनश्याम
2—प्रदीप अग्रवाल पुत्र स्व0 घनश्याम
निवासीगण पचौर सारंगपुर
जिला राजगढ म0प्र0
3—मोहनलाल पुत्र श्री भंवर लाल
निवासीगण पचौर सारंगपुर
जिला राजगढ म0प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अभिभाषक, आवेदक के वारिसानों की ओर से उपस्थित।
श्री अनोज गुप्ता अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 20.08.18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–08–2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का विवेरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा अपने स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 319 रकबा 0.089 है0 भूमि पर स्व0 रज्जाक खां के कब्जे में होने से अनावेदक द्वारा आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कब्जा वापिसी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार पचोर द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–70/2005–06 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 26.12.07 द्वारा अवैध कब्जा सिद्व होने से कब्जा वापसी के आदेश पारित किये, इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी ब्यावरा जिला राजगढ द्वारा प्रकरण कमांक 14/अपील/अ–70/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 27.2.2008 द्वारा अपील निरस्त की गई। इससे परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 3.8.2011 को निरस्त की गई, इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जिसमें मुख्य रूप से उनके द्वारा यह तर्क लिखा गया है कि आवेदकगण सर्वे कमांक 319 रकवा 0.089 है0 पर लगभग 50–60 वर्षो से आवेदकगण के कब्जे में चली आ रही है तथा आवेदकगण का उक्त भूमि पर मकान बना हुआ है अनावेदकगण ने राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये अवैधानिक सीमांकन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के न्यायालय में धारा 250 का आवेदन प्रस्तुत

किया। तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को बिना सूचना एवं साक्ष्य के पर्याप्त अवसर दिये बिना दिनांक 26.12.07 अवैधानिक रूप से आदेश पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत की। जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि अनावेदकगण द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन करने पर ज्ञात हुआ कि आवेदकगण के द्वारा अनावेदकगण की सर्वे नम्बर भूमि 319 रकबा 0.089 है0 भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाया गया। अनावेदकगण ने सीमांकन के आधार पर अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष भू–राजस्व संहिता की धारा 250 के अंतर्गत तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण में विधिवत कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 26.12.07 द्वारा कब्जा देने के आदेश पारित किये। उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि निगरानी में केवल विधिक तथ्य ही उठाये जायेंगे एवं अधिनस्थ न्यायालयों ने उक्त विधि बिन्दु पर क्या गलत आदेश पारित किया है, उस पर ही विचार किया जायेगा। लेकिन आवेदकगण द्वारा निगरानी मेमों में ऐसा कोई विधि तथ्य नहीं उठाया जिससे यह सिद्ध हो कि तीनों ही अधिनस्थ न्यायालयों ने उनके द्वारा पारित आदेश में यह गलती हैं?, इसलिये निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में माननीय न्यायाधीश वर्ग प्रथम सारंगपुर के समक्ष भी प्रकरण प्रस्तुत किया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 4ए/2003 में पारित आदेश दिनांक 29.6.05 में आवेदकगण का कब्जा मान्य नहीं किया गया है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5–उभय पक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा उनके द्वारा प्रस्तुत लेखी बहसों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अनावेदकगण द्वारा अपने स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 319 रकबा 0.089 हैक्टर भूमि पर स्व0 रज्जाक खां के कब्जे में होने से अनावेदक द्वारा आवेदक के विरूद्व संहिता कीधारा 250 के अंतर्गत कब्जा वापसी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।

तहसीलदार पचोर द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–70/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 26.12.2007 द्वारा अवैध कब्जा सिद्व होने से कब्जा वापिसी के आदेश पारित किये तथा आावेदगण अधिनस्थ न्यायालय में अपना कब्जा संबधी कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका है, जिससे तहसीलदार द्वारा कब्जा वापिसी का आदेश दिया गया है और अनुविभागीय अधिकारी व्यावरा द्वारा तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा गया। अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्व आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त भोपाल के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी व्यावरा जिला राजगढ़ का आदेश स्थिर रखा गया।

6–अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस के साथ माननीय न्यायाधीश वर्ग प्रथम सारंगपुर के प्रकरण कमांक 4ए/2003 में पारित आदेश दिनांक 29.6.05 की छाया प्रति संलग्न की है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आवेदकगण का कब्जा मान्य नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती आदेश हैं। उसमें हस्तक्षेप की आवक्श्यकता नहीं । RN – 2014 page 227 Nasirunnisha verses Mohan lal and others land revenue code 1959 M.P. s 50 concurrent findings of three courts below --not interference called for in revision.

7–उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण अपना कब्जा सिद्व करने में असफल रहे है। इसलिये तीनो अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशें में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 23/अपील/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2011 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर